

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-8)

(Phone No 0141-2227229, Email ID :- pdme2k\_rdd@yahoo.com)

क्रमांक :- प 2(3)ग्रावि/अनु.8/2015

जयपुर, दिनांक :- 05.07.2016

बैठक सूचना

निर्देशानुसार माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा निम्नांकित जिलों में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की जायेगी। बैठक की तिथि का विवरण निम्नानुसार है :-

जिले का नाम	बैठक दिनांक	बैठक स्थान
चित्तोड़गढ़	15.07.2016 (प्रातः 10:00 बजे)	जिला परिषद, सभागार, चित्तोड़गढ़
भीलवाड़ा	15.07.2016 (सांयः 3:30 बजे)	जिला परिषद, सभागार, भीलवाड़ा


उक्त बैठक में निम्नानुसार अधिकारी भाग लेंगे :-

- 1 प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- 2 शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग।
- 3 शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
- 4 आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
- 5 निदेशक, स्वच्छ भारत अभियान, पंचायती राज।
- 6 निदेशक, जलग्रहण विकास विभाग।
- 7 अतिरिक्त उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन प्रथम), पंचायती राज।
- 8 परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (मो. एवं मू.), ग्रामीण विकास।
- 9 संबंधित जिला प्रभारी।

जिले में बैठक कार्यक्रम निम्नानुसार है :-

बैठक में प्रतिभागी	एजेण्डा
माननीय सांसद, जिले के समस्त माननीय विधायकगण, जिला प्रमुख, जिले के समस्त प्रधान, जिला कलक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पंचायतीराज संस्थाओं को हस्तान्तरित विभागों के अधिकारी तथा लाईन विभाग व जिले के समस्त विकास अधिकारी	जिले में विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं की प्रगति की समीक्षा।


उक्त बैठक का आयोजन, समन्वय एवं बैठक कार्यवाही विवरण आदि का दायित्व संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद एवं जिला प्रभारी अधिकारी का होगा।

  
परि. निदे. एवं उप सचिव  
(मो. एवं मू.)

P.T.O.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव (द्वितीय), मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पं. राज विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि. एवं पं. राज विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
7. निजी सचिव, आयुक्त महात्मा गांधी नरेगा।
8. निदेशक, स्वच्छ भारत अभियान, पंचायती राज।
9. निदेशक, जलग्रहण विकास विभाग।
10. जिला कलक्टर, चित्तोड़गढ़ एवं भीलवाड़ा।
11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तोड़गढ़ एवं भीलवाड़ा को प्रेषित कर लेख है कि जिले के माननीय सांसद महोदय/विधायकगण/जिला प्रमुख/प्रधानगण एवं जिले के विकास अधिकारी को बैठक में भाग लेने हेतु सूचित करेंगे, साथ ही विभाग की योजनाओं की क्रियान्विति से संबंधित कार्यकारी एजेंसी के जिला स्तरीय अधिकारी एवं पंचायतीराज संस्थाओं को हस्तान्तरित विभाग एवं लाईन विभाग भी सुसंगत सूचनाओं के साथ बैठक में उपस्थित रहेंगे, यह सुनिश्चित किया जावे। बैठक से संबंधित सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे।
12. अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन द्वितीय), पंचायती राज विभाग।
13. जिला प्रभारी, मुख्यालय, चित्तोड़गढ़ एवं भीलवाड़ा।
14. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को पत्र विभागीय वेबसाइट ([rdprd.gov.in](http://rdprd.gov.in)) पर अपलोड करने हेतु।

  
परि. निदे. एवं उप सचिव  
(मो. एवं मू.)